पत्रांक –10/न 4–46/2005 मा0....421/–

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना

प्रेषक,

शिव प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव,

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक

विषयः– पार्क माउन्ट पब्लिक स्कूल, मित्र मण्डल कॉलोनी, साकेत बिहार, अनिसावाद, पटना को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय्

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :–

1. विद्यालय का संचालन एक निबंधित संस्था "सुदर्शन सेवा समिति" के द्वारा किया जाता है । समिति के सदस्यो की सूची दी गयी है । शपथ के द्वारा यह बताया गया है कि संस्था में एक व्यक्ति अथवा परिवार का प्रभुत्व नही है । सभी सदस्यों का व्यवसाय समाज सेवा बताया गया है "समाज सेवा" एक सामान्य शब्द है, जिससे पेशा के सन्दर्भ में वास्तविक स्थिति स्पष्ट नही होती है । इसे स्पष्ठ किया जाना आवश्यक है ।

2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी/न्यास के फेन्चाईजी के रूप में स्थापित होने अथवा किसी अन्य विद्यालय के brand name का उपयोग नही करने का भी दावा किया है । परन्तु आवेदन से यह स्पष्ट नही है कि "सुदर्शन सेवा समिति" के द्वारा केवल यही विद्यालय संचालित है अथवा अन्य विद्यालय भी चलाने जा रहे है ।

3. विद्यालय के द्वारा भूमि एवं भवन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप होने का दावा किया गया है । विद्यालय के द्वारा आधारभूत संरचना एवं सुविधाओं के मानक के अनुरूप होने के दावे की जॉच केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को अपने निरीक्षण दल के द्वारा करा लेनी होगी ।

4. विद्यालय में कुल **19** शिक्षक है, जिनमें **11** प्रशिक्षित है । शिक्षको की नियुक्ति विज्ञापन के माध्यम से करने की सूचना दी गयी है । लेकिन साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि शिक्षको की योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डो के अनुरूप है, तथा उनकी

(i) विद्यालय में क्षमता का 25% नामांकन पड़ोस में निवास करने ... निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शु... जायेगा । ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकला... बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/– रूपये प्रतिवर्ष होगें।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नही लिया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुलें तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी ।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नही होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

8. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जॉच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालयों के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं आपेक्षित शर्त्तो का अनुपालन किया जा रहा है । स्कूल को यह शर्त्ते सार्वजनिक करनी होगी तथा इनका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेवसाइट में करना होगा ।

10. शर्त्तो के उल्लंघन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

11. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा शर्त्तो के अनुरूप पार्क माउन्ट पब्लिक स्कूल, मित्र मण्डल कॉलोनी, साकेत बिहार, अनिसावाद, पटना को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है ।

12. विद्यालय से प्राप्त पत्र दिनांक 18.04.2006 की छायाप्रतिलिपि संलग्न है ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक –

ह0/–
(शिव प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – 6/21 पटना, दिनांकः– 23.6.06

प्रतिलिपि – प्राचार्य, पार्क माउन्ट पब्लिक स्कूल, मित्र मण्डल कॉलोनी, साकेत बिहार, अनिसावाद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

23.6.06

(शिव प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 964 पटना, दिनांक- 7 नवम्बर, 07 ।

प्रतिलिपि प्राचार्य, पार्क माउन्ट पब्लिक स्कूल, नेऊरा खगौल रोड पटना 801113 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6/11

ह० कमलेश्वर प्रसाद सिंह ह०
निदेशक ह०माध्यमिक शिक्षा ह०, बिहार ।

6/11/07

पत्रांक-10/न4-46/05मा0-
मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार।

प्रेषक,

श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक(माध्यमिक शिक्षा), बिहार ।

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र,2 कम्युनिटी सेन्टर
नई दिल्ली-110092 ।

पटना, दिनांक- नवम्बर,07 ।

विषय:- पार्क माउन्ट पब्लिक स्कूल मित्र मंडल,कोलनी ,साकेत बिहार, अनिशाबाद,पटना का पता परिवर्त्तन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि उक्त विद्यालय को विभागीय पत्रांक 421 दिनांक 23-6-06 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र मित्र मंडल कोलनी साकेत बिहार,अनिशाबाद पटना के पते पर निर्गत किया गया था ।

विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है कि विद्यालय के नाम से नेऊरा खगौल,थाना बिहटा में जमीन लिया गया था। जिस पर विद्यालय भवन बनकर तैयार हो गया है तथा उसी में विद्यालय को पुराने भवन से स्थानान्तरित कर दिया गया है,जहाँ विद्यालय संचालित है। विद्यालय द्वारा पता परिवर्त्तन का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना से नये भवन के स्थल निरीक्षण कराया गया । जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिवेदन से विद्यालय द्वारा दिये गये दावा को सत्य पाया गया है ।

अतः पार्क माउन्ट पब्लिक स्कूल मित्र मंडल कोलनी साकेत बिहार, अनिशाबाद पटना का का पता परिवर्त्तन करते हुए पार्क माउन्ट पब्लिक स्कूल नेऊरा खगौल रोड,पटना -801113 अंकित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक(माध्यमिक शिक्षा), बिहार ।

ज्ञापांक- पटना, दिनांक- नवम्बर,07 ।